(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 2974-तीन/2013 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-5-2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला रीवा - प्रकरण कमांक 26 अ-27/2011-12 निगरानी

1- कामताप्रसाद (मृतक)पुत्र श्यामलाल गुप्ता

वरिस

1. श्रीमती प्रेमवती पत्नि कामताप्रसाद
2. उमेश आयु 24 वर्ष ।
3. मनीष आयु 19 वर्ष । सभी पुत्र/पुत्री
4. सुमन आयु 15 वर्ष । स्व.कामताप्रसाद
5. महिला आयु 11 वर्ष ।

अल्पवयस्क सरसरपरस्त मॉ प्रेमवती

2- बेनीमाधव पुत्र स्व.श्यामलाल गुप्ता

3- मेवालाल पुत्र स्व.श्यामलाल गुप्ता

सभी निवासीगण ग्राम डिघवार तहसील मउगॅज जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- लालमणि 2- केदारप्रसाद पुत्रगण बैजनाथ

3- संपत्तिप्रसाद 4- शिवमूर्तिप्रसाद

दोनों पुत्रगण भगवत गुप्ता

निवासीगण ग्राम चौका सोनवर्षा

तहसील मउगॅज जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बृजेन्द्र शुक्ल)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अजय पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 06 - 4-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 26 अ-27/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-13 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच सहखाते की भूमियों का बटवारा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 18-9-1997 से किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज के समक्ष अपील हुई। अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज ने प्रकरण कमांक 59अ-27/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-5-2010 से ग्राम पंचायत का बटवारा आदेश दिनांक 18-9-97 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर जॉच उपरांत म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में दिये गये प्रावधानों अनुसार बटवारा कार्यवाही की जाय। तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर प्रकरण कमांक 72 अ-74 /2009-10 पंजीबद्ध हुआ एंव नायव तहसीलदार वृत्त देवतालाब तहसील मउगॅज ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आपत्ति की गई कि धारा 178 में प्रावधान है कि किसी भी खाते का विभाजन सहखातेदारों के मध्य होगा। आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत दावा में खाते का लेख नहीं किया गया है तथा जिन नंबरों का लेख किया गया है , आवेदित भूमियों में आवेदक क-3 एंव 4 का कोई स्वत्व आधिपत्य नहीं है और न ही सह भूमिस्वामी हैं इसलिये उनके पक्ष में बटवारे का प्रश्न उदभूत नहीं होता। नायव तहसीलदार वृत्त देवतालाब तहसील मउगॅज आपत्ति का निराकरण करते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 30-8-11 पारित किया तथा आपत्ति अमान्य करते हुये प्रकरण सुनवाई हेतु आगे की तिथि में नियत किया। नायव तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 26 अ 27/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-13 से निगरानी

निरस्त कर दी एंव नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनॉक 31-5-13 को यथावत् रखा। अपर कलेक्टर रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि आराजी क्र. 12/2 रकबा 0.65 ए., आराजी क्रमांक 18 एंव 19 रकबा 6.54 ए. व 0.54 एकड तथा 54/1 रकबा 1.43 एकड ग्राम डिघवार को उनके पूर्वज श्यामलाल ने जर्य पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है, इसी कारण तहसील न्यायालय में बटवारे के दावे की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की गई थी। तहसील न्यायालय ने यह समझने में भूल की है कि यदि खाते में एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी अपने अंश का विभाजन करा सकेगा। वाद विचारित भूमि में तहसील न्यायालय में बटवारे के आवेदक भूमि से असम्बद्ध हैं जिन्हें बटवारे की पात्रता नहीं है क्योंकि वह रिकार्डेड सहखातेदार नहीं है। उन्होंने अपर कलेक्टर एंव नायव तहसीलदार के आदेशों को निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुसार तहसील न्यायालय में दो प्रकरण वाद विचारित भूमियों के प्रचलित है एक प्रकरण नामान्तरण का है एंव दूसरा प्रकरण बटवारे का है। अपर कलेक्टर ने दोनों प्रकरणों को सम्मिलित कर एक-साथ निराकरण करने के निर्देश सही दिये है। उन्होंने यह भी बताया कि तहसील न्यायालय में उभय पक्ष के बीच बटवारा पुल्ली एंव पटवारी प्रतिवेदन व सजरा खानदान के मान से विचार किया जा रहा है जिसकी छानवीन करने पर अपर कलेक्टर ने नायव तहसीलदार के आदेश में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाई है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर एंव लेखी बहस पर विचार किया गया। नायव तहसीलदार वृत्त देव तालाब तहसील मउगॅंज जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 72 अ-74/ 2009-10 तथा अपर कलेक्टर रीवा के निगरानी प्रकरण क्रमांक 26 अ 27/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-13 के अवलोकन पर स्थिति यह परिलक्षित हुई है कि ग्राम पंचायत डिगवार द्वारा नामान्तरण पॅंजी के सरल क्रमांक 5 पर आदेश दिनांक 18-9-1997 से पक्षकारों के बीच वाद विचारित भूमि के किये गये बटवारे को अनुविभागीय अधिकारी मउगॅंज ने प्रकरण क्रमांक 59अ-27/2009-10 अपील

में पारित आदेश दिनांक 14-5-2010 से निरस्त किया है तथा प्रकरण तहसील न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर जॉच उपरांत म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में दिये गये प्रावधानों अनुसार बटवारा कार्यवाही की जाय। तहसील न्यायालय में बटवारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की है एंव प्रकरण प्रचलनयोग्य न होना बताते हुये आपत्ति स्वीकार कर बटवारा कार्यवाही का प्रकरण निरस्त करने की मांग रखी है जबकि अनुविभागीय अधिकारी मउगॅज ने आदेश दिनांक 14-5-2010 से ग्राम पंचायत का बटवारा आदेश दिनांक 18-9-97 निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर जॉच उपरांत म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में दिये गये प्रावधानों अनुसार बटवारा कार्यवाही की जाय। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में नायव तहसीलदार द्वारा बटवारा कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है जहॉ उभय पक्ष को बचाव प्रस्तुत करने एंव अपना-अपना दावा सिद्व करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दि. 31-5-13 में नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 30-8-11 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के अवलोकन से उनके द्वारा निकाले गये निष्कर्ष समरूप प्रतीत होते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 26 अ-27/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-5-13 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर